

- 3) ऐसे अन्य प्रकारणीय विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र देना।  
 2) उपर्युक्त आधार पर न्यायालयीन आदेश के अनुपालन की सहमति दी जाती है।  
 62 वर्ष होनी चाहिए।


1) शिक्षक के पद पर संविधान द्वारा नियुक्ति के फलस्वरूप इनकी संवर्गित आयु 2018 के प्रमुख बिन्दु निर्मात्रसार है-  
 विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया। विल विभाग द्वारा दिए गए अभिमत दिनांक 03.07.2018 को मान्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में समकक्ष प्रकरणों में विल उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में दायर की गई है जो वर्तमान में प्रचलन में है।  
 पदम कुमार देहिया विरुद्ध म.प्र. शासन में विद्युत् याचिका क्रमांक आ.र.पी. 119/2018 मान्य 2/ मान्य न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिका क्रमांक 13763/2013 (एस) श्री तथ्य है? इस संबंध में एक मार में आवेदनक निर्णय लिये जाने के निर्देश दिए गये।  
 निर्धारित किए जाने को लेकर जो बर्गीकरण किया गया है उसके पीछे क्या कोई तार्किक कारण है यह भी अपेक्षा की गई है कि वह यह विचार करे कि 20 वर्ष की सेवा अवधि आवेदन मान्य उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। राज्य इस प्रकरण पर नये सिरे से विचार किया जाए। मध्यप्रदेश राज्य की इस संबंध में समविध आदेश में मान्य न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा की गई कि मान्य उच्च न्यायालय द्वारा याचिका जयपी क्रमांक 16257/2017 दायर की गई जिस दिनांक 21.08.2017 को पारित उद्देश्य है अपील खारिज कर दी गई। अपील में पारित निर्णय के विरुद्ध में विशेष अनुमति 11.2015 में मान्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2014 को सही एवं उचित विरुद्ध रिट अपील क्रमांक 499/2014 दायर की गई। अपील में पारित निर्णय दिनांक 23. दैक्षणिक अनुभव रखते हैं। उक्त उल्लेखी क. 13763/2013 (एस) में पारित निर्णय के विरुद्ध नहीं है, वे भी 62 वर्ष की आयु तक कार्य करने हेतु पात्र है यदि वे 20 वर्ष का संवर्गित हुए हैं, अतः वे 62 वर्ष तक कार्य करने हेतु पात्र है तथा ऐसे व्यक्ति जो भले ही पारित निर्णय का सार यह है कि उक्त याचिकाकर्ता शिक्षक है तथा शिक्षक के पद से ही म.प्र. शासन व अन्य में मान्य उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 30.01.2014 को विधायित्व याचिका क्रमांक 13763/2013 (एस) श्री पदम कुमार देहिया विरुद्ध

ES/203  
 30-7-18

विषय- उल्लेखी 13763/2012 (एस) श्री पदम कुमार देहिया विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य तथा समकक्ष प्रकरणों में कार्यवाही के संबंध में।

आयुक्त,  
 लोक शिक्षण म.प्र.  
 भोपाल।  
 दिनांक 11-26/2018/20-4  
 भोपाल दिनांक 16/07/2018

मध्य प्रदेश शासन  
 लोक शिक्षण विभाग  
 भोपाल, बल्लभ भवन, भोपाल-462004



3947  
 11/18/2018  
 18-7-19

उप सचिव  
म.प्र. शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

अ.स. विभाग  
म.प्र. शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

Om

म.प्र. शासन का है।

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. जालिघर।
3. महाविद्यालय/अतिरिक्त महाविद्यालय, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर/इंदौर/जालिघर।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र., भोपाल।
5. सचालक, राज्य शिक्षा क-र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. सामाजिक सचिव सचालक, लोक शिक्षण (समस्त)।
7. सचिव सचालक, विधि प्रकल्प (समस्त)।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त), म.प्र.।
9. जिला कोषालय अधिकारी (समस्त), म.प्र.।
10. विधि कर्मचारी अधिकारी, विधि प्रकल्प, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र., भोपाल।

2017/18  
H

प्रतिनिधि :-

पृ. क्रमांक एक 11-26/2018/20-4, भोपाल, दिनांक 16/07/2018  
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

उप सचिव  
(क.क.हि.वेदी)

Om

उत्तर में ही यह सुनिश्चित किया जाए।

5/ कठिनाई (4.2) में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्देशों का पालन करते समय शासकीय शर्तों के संशोधन प्रकरणों का भी उपर्युक्त निर्देशों का पालन करते हुए निराकरण किया जाए तथा इस संबंध में भविष्य में कोई अन्य न्यायालयीन प्रकरण उद्भव न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

4.3 समस्त न्यायालयीन प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए आवश्यक जवाब देना प्रयत्न कर उनका निराकरण कराया जावे।

4.2 शैल शिक्षा प्रबंधक जिनका विभागीय आदेश क्रमांक एक-2-5/97/20-2/बीस, दिनांक 06.06.1998 के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में संशोधित किया गया है, से संबंधित प्रवृत्त समस्त न्यायालयीन प्रकरणों में याचिकाकर्तियों की अर्थाधिकारी आयु 62 वर्ष मान्य करते हुए संशोधित प्रदान की जाए तथा तदनुसार समस्त संशोधित संबंधी खर्चों का भुगतान किया जाए।

4.1 म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में दायर विद्यु याचिका क्रमांक आ/विभाग के उपर्युक्त अभिमत के प्रकाश में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए

11/9/2018 जी वर्तमान में प्रचलन में है, को वापस लिया जाए।

4/  
6

आचार्य आचार्य  
आचार्य आचार्य  
आचार्य आचार्य

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश  
कार्यालय

(प्रशासन शाखा)

की और संज्ञाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु आश्रीत ।

11. प्रगति कमप्लेक्स (खानीय), ई-मेल/पोर्टल पर अपलोड हेतु ।

10. प्रगति जिला कोषाध्यक्ष अधिकारी म.प्र.

उत्तर में ही, यह सूचिनिश्चित किया जाए ।

करते हुए निरकरण किया जाए तथा इस संबंध में परिवर्तन हेतु अन्य आवश्यक प्रकरण

समस्त समकक्ष संवकीय संवकीय के संवकीय प्रकरणों का भी उपर्युक्त निर्देशों का पालन

परिचय में उल्लिखित कठोरता 4.2 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त ही संवकीय निर्देशों को पालन हेतु

9. प्रगति जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. की और संवकीय निर्देशों को पालन हेतु कि शासन

8. संवकीय संवकीय, विधि कक्ष (खानीय)

7. प्रगति संवकीय संवकीय, लोक शिक्षण विधि प्रकल्प म.प्र.

6. प्रगति संवकीय संवकीय संवकीय, लोक शिक्षण म.प्र.

5. संवकीय, राज्य शिक्षा केंद्र, प्रकल्प भवन, अररा हिल्स म.प्र. भीपाल ।

4. महाविद्यालय/अतिरिक्त महाविद्यालय, म.प्र. उच्च शिक्षण, जवाहर/इंदौर/राजिपुर म.प्र. ।

3. महाविद्यालय म.प्र. राजिपुर ।

26/2018/20-4 दिनांक 16.07.2018 के क्रम में संवकीय प्रेषित ।

2. उप संवकीय, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय की और उनके परिचय क्र. एफ-11-

1. निम्न संवकीय, भारतीय मंत्री/राज्य मंत्री/राज्य शिक्षा विभाग भीपाल ।

प्रतिनिधि-

मोपाल, दिनांक 6/8/2018

पु. क्र. खा-3/एव/अधि.आयु./2014-18/1496

ई-मेल est3-dpi@mp.gov.in

दूरभाष : 0755-2583650, फ़ैक्स 2583651

मोपाल नगर, भीपाल-462023

लोक शिक्षण संवकीय, मध्य प्रदेश

(15)

मोपाल नगर, भीपाल-462023